न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: **193/2020** दायर दिनाँक **07.08.2020**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. लाखाराम पुत्र हरलाल जाट जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज0)	बनाम	1. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र वास्ते पत्थरगढी
अन्तर्गत धारा–128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **25.08.2025**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 371 रकबा 12.42 बिस्वा मौजा मौलासर में प्रार्थी की रजिस्टर्ड खरीदशुदा राजस्व भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि के पडोसियान के बीच में सीमा विवाद को लेकर आये दिन लडाई झगडा होता रहता है जिससे प्रार्थी भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के अन्तर्गत पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक–रीडर/2021/486 दिनांक 16.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मौलासर में स्थित साबिक खसरा संख्या 371 रकबा 21.09 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 356 रकबा 3.3939 है. जो सहखातेदारी की भूमि है। खसरा संख्या 956 रकबा 3.3939 है. भूमि में से प्रार्थी लाखाराम का हिस्सा 10824 वर्गफुट दर्ज है शेष भूमि अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है। प्रार्थी की भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नहीं है जिसके कारण प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी व सीमांकन किया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। सरहद मौलासर में स्थित खेत खसरा सं0 371 रकबा 12.42 बिस्वा का प्रार्थी सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित राजस्व आराजी सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नहीं ... विवादित आराजी का विधिवत विभाजन नहीं होने से प्रार्थी की भूमि ... निर्धारण नहीं किया जा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि...

है। प्रार्थी सामलाती भूमि का बिना विभाजन ही सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहता है जो कि विधिसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद मौलासर के खेत खसरा सं0 371 रकबा 12.42 बिस्वा भूमि का प्रार्थी का पत्थरगढी बाबत हस्तगत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.08.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested